

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 07 /अकादमी/संबद्धता/वि.शि.सं 2018

भोपाल, दिनांक 02-01-2019

अधिसूचना

समस्त शासकीय/अशासकीय चिकित्सीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.12.2018 के पद क्रमांक 18/4/4 में लिए गए निर्णयानुसार एवं म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) कार्यपरिषद की ओर से माननीय कुलपतिजी के अनुमोदन पश्चात चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालय सत्र 2014-15 से म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर अस्तित्व में आ जाने के कारण बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों के पात्रता/नामांकन/परीक्षा इत्यादि संबंधित कार्य विश्वविद्यालय द्वारा ही पूर्ण किए जाने हैं। जिसकी वैधता के लिए प्रवेशित विद्यार्थियों के अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने तक महाविद्यालयों की संबद्धता की निरंतरता होना आवश्यक है। जिस हेतु महाविद्यालयों को संबद्धता की निरंतरता शुल्क भी देनी होगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 02-01-2019

पृ. क्र. 08 /अकादमी/संबद्धता/2018

प्रतिलिपि:

1. डीन/प्रचार्य
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल समस्त चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनाएं।
2. सचिव एम.सी.आई. नई दिल्ली 110002
3. सचिव डी.सी.आई. नई दिल्ली
4. सचिव सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली
5. सचिव सी.सी.एच. नई दिल्ली
6. सचिव आई.एन.सी. नई दिल्ली
7. सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.शासन भोपाल
8. रजिस्ट्रार म.प्र.नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, गोमंतिका परिसर जवाहर चोक भोपाल
9. आयुक्त म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल
10. सचिव, म.प्र. आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा आयुष विभाग म.प्र. शासन भोपाल
11. प्रगारी वेबसाइट सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12- कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित
- 13- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
- 14- संबंधित नरती


प्र. सहायक कुलसचिव, अकादमी

8/1/19